न्यायालय Aditional District and Sessions Judge, Court No-4/Special Judge, E.C.Act, Lucknow

पीठासीन अधिकारी–Narendra Kumar-III (H.J.S.)-UP-5950

UPLK010129602022

Anticipatory Bail Application/7547/2022

नोरल हसन उर्फ नुरूल हसन आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र स्व0 अली हसन, निवासी मैलानी खीरी, लखीमपुर–खीरी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

अ0सं0–0135/2022
धारा–406,420,506 भा0दं0सं0
थाना–कैसरबाग, जनपद–लखनऊ।

दिनांक 06.09.2022

1. प्रार्थी/अभियुक्त **नोरल हसन उर्फ नुरूल हसन** की ओर से मुकदमा अपराध संख्याः 0135/2022, धारा–406,420,506 भा0दं0सं0, थानाः कैसरबाग, लखनऊ के प्रकरण में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–438 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी के घर के पास होटल सादर सरकार, नजीराबाद, लखनऊ के मैनेजर गिरीश अरोडा उर्फ बन्टी के माध्यम् से होटल में ठहरने वाले एक व्यक्ति, जसका नाम नूरूल हसन है, से मुलाकात हुई थी, जिसका पार्टनर आमिर सिद्दीकी है। नूरूल ने वादी को अपने विश्वास में लेकर ए0सी0 की डीलरशिप के लिए पहली बार मु0 50,000/–रू0 वादी से लिए। बाद में नूरूल एवं आमिर ने मु0 53,000/–रू0 वादी को वापस कर दिये एवं दूसरी बाद मु0 70,000/–रू0 वादी से लेकर फिर एक हफ्ते बाद मु0 73,000/–रू0 वादी को वापस कर दिया। तीसरी बार में मु0 2,50,000/–रू0 वादी से लेकर दस दिन बाद उसे वापस कर दिया, जिससे वादी को नूरूल व आमिर सिद्दीकी पर पूरा विश्वास हो गया। कुछ दिन पश्चात् वादी से मु0 5,00,000/–रू0 लेकर कहा कि वह वापस कर देंगे। फिर तीन दिन बाद उसने बताया कि माल खरीदने के लिए और मु0 3,20,000/–रू0 की आवश्यकता है, तो वादी ने मु0 3,20,000/–रू0 दे दिये और नूरूल हसन ने कहा कि वह कुल 8,20,000/–रू0 दस दिन में वापस कर देगा, किन्तु उसने रूपये नहीं लौटाये। फिर वादी को आमिर सिद्दीकी ने बताया कि वह दिल्ली में है और उसके पार्टनर के खाते में पैंसा ट्रांसफर कर दे। तब वादी ने आमिर सिद्दीकी के खाते में मु0 1,00,000/–रू0 अपनी बेटी मुस्कान सोनकर के खाते से ट्रान्सफर किया, लेकिन दो सप्ताह तक उसके द्वारा पैंसा नहीं लौटाया गया। पूँछने पर बताया कि कानपुर में सेल टैक्स वालों ने माल सहित ट्रक जब्त कर लिया है। कुछ रूपयों का इंतजाम करो। सेल टैक्स वालों को करीब 8,50,000/–रू0 देने हैं। तब वादी ने अपने छोटे भाई की पत्नी रति सोनकर के खाते से मु0 2,50,000/–रू0 द्वारा आर.जी.जी.एस. आमिर सिद्दीकी के खाते में जमा कर दिये। इस प्रकार वादी द्वारा मु0 12,70,000/–रू0 धोखे से ले लिया गया है। मॉगने पर धमकी देते हैं।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दिये गये अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–438 दं0प्र0सं0 में यह आधार लिया गया है कि महेन्द्र सोनकर

तथा आमिर सिद्दीकी के मध्य आपसी व्यवसाय तथा लेन—देन होता रहता था। जहॉ अभियुक्त की मुलाकात महेन्द्र सोनकर से हुई थी। कुछ दिन बाद महेन्द्र ने अभियुक्त को अवगत कराया कि आमिर उसका कुछ रूपया नहीं दे रहा है, न ही मिल रहा है और न ही फोन उठा रहा है। वादी ने अभियुक्त पर दबाव बनाया कि वह आमिर सिद्दीकी को पकड़वाने में उसकी मदद करे। वादी मुकदमा ने जो भी पैंसा दिया है, वह नकद तथा ऑन लाइन ट्रान्सफर आमिर सिद्दीकी को ही किया है। अभियुक्त को एक भी पैंसा ऑन लाइन या नकद नहीं दिया है। थाना कैसरबाग पुलिस अभियुक्त को धमकी दे रही है कि आमिर सिद्दीकी को हाजिर कराओ, नहीं तो अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। अभियुक्त अपनी मान प्रतिष्ठा हेतु बुरी तरह भयभीत है। अभियुक्त पर आरोपित अभियोग सात वर्ष तक दण्ड़नीय अपराध से संबंधित है एवं मजिस्ट्र विचारणीय अभियोग है। उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में लंबित नहीं है। अतः अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत दिये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना—पत्र का विरोध करते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रों एवं थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा को विश्वास में लेकर छल से मु0 12,70,000/—रू0 लेने एवं मॉगने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। थाने से प्राप्त आख्या में वादी, अभियुक्त व उसके विजनेस पार्टनर के मध्य् समझौता होने एवं अभियुक्त द्वारा लिखित में वादी को मु0 12,70,000/—रू0 दिनांक 22.07.22 तक वापस करने तथा अभियुक्त द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक चेक मु0 3,50,000/—रू0 का वादी को देने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया उक्त अपराध के कारित करने में अभियुक्त की भूमिका भी परिलक्षित हो रही है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। दण्ड़ादेश की सीमा को देखते हुए गिरफ्तारी की संभावना नहीं है एवं न ही अग्रिम जमानत पर छोड़ने की अपवादिक परिस्थितियॉ विद्यमान है। अतः सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता के मद्देनजर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं हैं। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

7. अभियुक्त **नोरल हसन उर्फ नुरूल हसन** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना—पत्र अपराध संख्या—0135/2022, धारा—406,420,506 भा0दं0सं0, थानाः कैसरबरग, लखनऊ निरस्त किया जाता है।

(नरेन्द्र कुमार—III)
विशेष न्यायाधीश,ई0सी0 एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश—4, लखनऊ।
आई0डी0 नं0—यूपी5950

दि0—06.09.2022